

50



न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्याप्रदे
प्रकरण क्रमांक:- /98 निगरानी R-2840-J114

Ex-2029/19-9220
112-3002 284-42-12-1/114
208-14

- 01. शंकरलाल पिता केनाम 55 साल
 - 02. नरेन्द्र पिता मनश्याम 55 साल
 - 03. भंवरलाल पिता भेरनाम 50 साल
 - 04. सलीम पिता मुहम्मद 50 साल
 - 05. शाहिदाबी पति इकबाल 55 साल
 - 06. गीताबाई पति रामनाथ 50 साल
 - 07. रमेश पिता शिवनाथ 50 साल
 - 08. नरसिंह पिता वरनाथ 55 साल
- समस्त निवासी महिदपुर रोड
तहसील महिदपुर जिला उज्जैन (म.प्र.)
आवेदकगण

विरुद्ध

- 09. श्रीमान प्रबन्धक म.प्र.वेशा सहकारी
शेकर कारखाना महिदपुर
जिला उज्जैन
- 02. अनुविभागीय महोदय
महिदपुर जिला उज्जैन
आवेदकगण

29-8-14

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर

पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार
महोदय महिदपुर जिला उज्जैन के क्रमांक
52/अ-92/93,98 में पारित आदेश
दिनांक 99.09.98 एवं राजस्व निरीक्षक
प्रतिवेदन दिनांक 30.06.98 से असन्तुष्ट
एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार
पर पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करते है।

माननीय महोदय,

आवेदकगण अधीनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार महोदय महिदपुर जिला
उज्जैन के क्रमांक 52/अ-92/93,98 में पारित आदेश दिनांक 99.09.98 एवं
राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन दिनांक 30.06.98 से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न
कारणों के आधार पर पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करते है

3



Signature

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2840-एक/14

जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p></p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	